बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड),
पटना – 800001

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के विभिन्न विभागों में सहायक प्राध्यापक के कुल 1171 (एक हजार एक सौ एकहत्तर) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विभाग एवं आरक्षण कोटिवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है –

क्र॰ सं॰	विज्ञापन सं॰	विभाग का नाम	सामान्य कोटि (01)		अनुसूचित जाति (02)		अनुसूचित जनजाति (03)		अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)		पिछड़ा वर्ग (05)		पिछड़ा वर्ग की महिला (06)	कुल रिक्त पद
			कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या	महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या		
1.	07/2017	एनाटॉमी विभाग	31	11	11	04	01	00	12	04	08	03	02	**65**
2.	08/2017	फिजियोलॉजी	08	03	05	02	00	00	05	02	03	01	01	**22**
3.	09/2017	बायोकेमेस्ट्री	22	08	09	03	01	00	11	04	07	02	02	**52**
4.	10/2017	फार्माकॉलोजी	22	08	09	03	01	00	10	03	06	02	02	**50**
5.	11/2017	माइक्रोबायोलॉजी	14	05	09	03	01	00	10	03	07	02	01	**42**
6.	12/2017	पैथोलॉजी	24	08	13	05	01	00	12	04	08	03	02	**60**
7.	13/2017	पी॰एस॰एम॰	20	07	09	03	01	00	10	03	07	02	02	**49**
8.	14/2017	एफ॰एम॰टी॰	24	08	08	03	01	00	05	02	06	02	01	**45**
9.	15/2017	औषधि	14	05	16	06	01	00	19	07	11	04	04	**65**
10.	16/2017	टी॰बी॰ एण्ड चेस्ट	28	10	09	03	01	00	11	04	07	02	02	**58**
11.	17/2017	चर्म रोग एवं रति रोग	26	10	09	03	01	00	11	04	07	02	02	**56**
12.	18/2017	सर्जरी	07	02	15	05	00	00	18	06	12	04	03	**55**
13.	19/2017	शिशु रोग	22	08	12	04	01	00	13	05	09	03	03	**60**
14.	20/2017	स्त्री एवं प्रसव रोग	30	10	13	05	01	00	18	06	10	03	02	**74**
15.	21/2017	पी॰एम॰आर॰	18	06	07	02	00	00	08	03	05	02	01	**39**
16.	22/2017	नेत्र रोग	13	05	07	02	00	00	10	03	07	02	02	**39**
17.	23/2017	रेडियोलॉजी	27	09	10	03	01	00	12	04	08	03	02	**60**
18.	24/2017	निश्चेतना	33	12	13	05	00	00	18	06	11	04	03	**78**
19.	25/2017	मनोरोग	25	09	09	03	01	00	10	03	07	02	02	**54**
20.	26/2017	न्यूरो सर्जरी	06	02	03	01	00	00	03	01	02	01	00	**14**
21.	27/2017	कार्डियोलॉजी (सुपर–स्पेशलिटी)	08	03	03	01	00	00	03	01	02	01	01	**17**
22.	28/2017	हड्डी	10	03	07	02	01	00	10	03	06	02	02	**36**
23.	29/2017	नाक, कान एवं गला	19	07	08	03	01	00	10	03	07	02	01	**46**
24.	30/2017	नेफ्रोलॉजी (सुपर–स्पेशलिटी)	08	03	03	01	00	00	03	01	02	01	01	**17**
25.	31/2017	न्यूरोलॉजी (सुपर–स्पेशलिटी)	09	03	03	01	00	00	03	01	02	01	01	**18**
		कुल योग	**468**		**220**		**16**		**255**		**167**		**45**	**1171**

➢ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 13185, दिनांक– 03.09.2015 द्वारा राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

➢ निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार देय होगा।

इन विज्ञापनों का अंतिम परीक्षाफल एवं नियुक्ति हेतु अनुशंसा SLP – 23840–41/2014, डा॰ सुरेन्द्र नाथ चौधरी एवं अन्य, SLP – 34242–43/2014 डा॰ मघुरेन्द कुमार सिन्हा एवं अन्य एवं SLP – 779–783/2015, डा॰ विनोद कुमार मिश्रा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

नोट :– रिक्ति की संख्या घट–बढ़ सकती है।

2. <u>वेतनमान</u> – वि॰सं॰ 07/2017 से वि॰सं॰ 31/2017 तक के लिए– 15,600–39,100/– रू॰ ग्रेड पे॰ – 6600/– रू॰

3. **<u>शैक्षिक योग्यता/अनुभव</u>** – वि॰सं॰ 07/2017 से वि॰सं॰ 31/2017 तक के लिए –

(क) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से विषय–विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि (पी॰जी॰) एवं इसके उपरान्त भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में न्यूनतम तीन वर्षों का सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के पद का शैक्षणिक अनुभव। बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के ऐसे पदाधिकारी जिन्हें विषय विशेष में स्नातकोत्तर उपाधि एवं इसके उपरान्त भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में न्यूनतम तीन वर्षों का रेजिडेंट/सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के रूप में शैक्षणिक अनुभव प्राप्त है, वे भी सहायक प्राध्यापक के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के रूप में न्यूनतम 03 (तीन) वर्षों का अनुभव सहायक प्राध्यापक के पद के लिए आवेदन करने हेतु एक अनिवार्य शर्त है, अतएव वैसे सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर जो संविदा अथवा टेन्योर पद पर कार्यरत हैं एवं 03 (तीन) वर्षों का न्यूनतम शैक्षणिक अनुभव रखते हैं, वे भी सहायक प्राध्यापक के पद पर आवेदन करने के पात्र हैं।

पी॰जी॰ डिग्री के लिए MD, MS एवं DNB की डिग्री मान्य होगी। पी॰जी॰ डिप्लोमा की डिग्री मान्य नहीं होगी।

(ख) सुपर–स्पेशलिटी विभागों/इकाईयों के लिए डी॰एम॰/एम॰सी॰एच॰ की कालावधि को उपर्युक्त विज्ञापन के तहत पात्रता हेतु गणना की जाएगी। सुपर–स्पेशलिटी विषयों में सीधे (बिना सीनियर रेजिडेंसी किये हुये भी) सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु मूल स्पेशलिटी में MD/MS/DNB के साथ सुपर–स्पेशलिटी विषयों में DM/MCh/DNB (Super Speciality) अनिवार्य योग्यता होगी।

नोटः–1. एम॰बी॰बी॰एस॰ एवं स्नातकोत्तर तथा DM, MCh, DNB (Super Speciality) की डिग्री एम॰सी॰आई॰ से मान्यता प्राप्त कॉलेजों/संस्थानों से होनी चाहिए।

2. शैक्षणिक अनुभव प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु संस्थान के प्रमुख सक्षम प्राधिकार होंगे।

3. अभ्यर्थी अपने M.C.I. अथवा राज्य के मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउन्सिल से प्राप्त निबंधन प्रमाण–पत्र में सभी प्राप्त डिग्रियों की अद्यतन प्रविष्टि करा लें एवं उसकी छायाप्रति अनुलग्नक के रूप में आवेदन के साथ संलग्न करेंगे।

4. <u>उम्र सीमा</u> – वि॰सं॰ 07/2017 से वि॰सं॰ 31/2017 तक के लिए दिनांक 01.08.2016 को अधिकतम, अनारक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 48 वर्ष, महिला (अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग) के लिए 48 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष। बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सकों के लिए उम्र सीमा 50 वर्ष होंगी।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक– 212, दिनांक– 23.01.2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक– 31.05.2012 से 01.08.2016 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं अर्थात उक्त अवधि में अधिकतम उम्र सीमा से अधिक उम्र के हो गए हैं, भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे बशर्ते वे अन्य अहर्ताएँ पूरी करते हों।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में निःशक्त उम्मीदवारों उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सदस्यों के लिए इस उम्र सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट दी जायेगी।

5. <u>चयन का आधार</u> – वि॰सं॰ 07/2017 से वि॰सं॰ 31/2017 तक के लिए शैक्षिक योग्यता एवं साक्षात्कार के आधार पर।

1. शैक्षिक योग्यता के लिए मूल्यांकन :–

अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा अवधारित करने के लिए निम्नलिखित यथाप्रदर्शित मूल्यांकन अंक आवंटित किए जाएंगे –

		70% से अधिक	65% से अधिक	60% से अधिक	55% से अधिक	50% से अधिक
(क)	तीन एम॰बी॰बी॰एस॰ विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योग	5	4	3	2	1

नोटः एक या अधिक एम॰बी॰बी॰एस॰ परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता के मामलें में, खास एम॰बी॰बी॰एस॰ परीक्षा में प्राप्तांक के कुल योग की गणना, संबंधित विषय में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकाल कर की जाएगी।

		70% से अधिक	65% से अधिक	60% से अधिक	55% से अधिक	50% से अधिक
(ख)	भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा के अनुसार, आवेदित स्पेशलिटी विषय या विषय समूह में प्राप्तांक	5	4	3	2	1

नोटः आवेदित स्पेशलिटी विषय या विषय समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामलें में, अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का अंकों का मध्यमान संबंधित विषय में प्राप्तांक माना जाएगा।

(ग)	एम॰डी॰/एम॰एस॰ अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्पेशलिटी में समकक्ष मानी गयी अर्हता	10 अंक
(घ)	उसी स्पेशलिटी में पी–एच॰डी॰, डी॰एम॰, एम॰सी॰एच॰	10 अंक
(ङ)	साक्षात्कार	6 अंक
(च)	सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव (केवल शैक्षिक पद पर कार्यरत चिकित्सक/रेजिडेन्ट/सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर का कार्यानुभव मान्य होगा)। (प्रति वर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक)	10 अंक

नोटः ऐसे एम॰आर॰सी॰पी॰, एफ॰आर॰सी॰एस॰ आदि जो 11.11.1978 के बाद प्राप्त किये गये हैं, के लिए कोई अंक आवंटित नहीं किया जाएगा।

❖ **एम॰बी॰बी॰एस॰ एवं स्नातकोत्तर तथा DM, MCh, DNB (Super Speciality), Ph.D की डिग्री एम॰सी॰आई॰ से मान्यता प्राप्त कॉलेजों/संस्थानों से होनी चाहिए।**

2. तीन विश्वविद्यालय एम॰बी॰बी॰एस॰ परीक्षाओं में से किसी में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिए एक अंक घटाया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी, जो तीन से अधिक अवसरों पर इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हों, वे पात्र नहीं होंगे।

3. मान्यताप्राप्त पत्रिकाओं (जर्नलों) में मुख्य लेखक के रूप में मौलिक प्रकाशन के लिए अभ्यर्थी को निम्नानुसार अतिरिक्त अंक आवंटित किए जायेंगे। अभ्यर्थी को किसी प्रकाशन का मूल लेखक तभी माना जाएगा, जब वह उस विषय के प्रभारी प्राध्यापक अथवा विभागाध्यक्ष जिसके, अधीन उसने अपना लेख (पेपर) तैयार किया हो, से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करे।

(क) अधिकतम 2(दो) अंकों के अधीन रहते हुए, किसी बिहार स्टेट मेडिकल जर्नल में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 1 (एक) अंक।

(ख) अधिकतम 10 अंकों के अधीन रहते हुए किसी ऑल इंडिया मेडिकल जर्नल, जो किसी ऑल इंडिया सोसाइटी अथवा एसोसिएशन का ऑफिसियल आर्गन हो अथवा किसी विदेशी मेडिकल जर्नल, जो समान राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी अथवा एसोसिएशन का ऑफिसियल आर्गन हो, में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 2(दो) अंक।

4. सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति का पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 18 (अठारह) अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. <u>आरक्षण</u> :–

(i) आवेदन प्रपत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **आवेदन प्रपत्र की कंडिका–8 में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण का आधार होगा और इस प्रयोजन के लिए स्थायी निवास प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।**

(iii) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) जाति प्रमाण–पत्र
(b) स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–

(a) क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र

पिछड़ा वर्ग जाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग जाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र मान्य होगा। **उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।**

(iv) **आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप आरक्षण कोड के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोड का अंकन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।**

आरक्षित कोटि का आरक्षण कोड निम्नवत् है :–

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	आरक्षण कोड
1.	अनुसूचित जाति (SC)	02
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	03
3.	अति पिछड़ा वर्ग (EBC)	04
4.	पिछड़ा वर्ग (BC)	05

(v) निःशक्तता (विकलांगता) की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता (विकलांगता) प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा निःशक्तता (विकलांगता) के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 2342, दिनांक– 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 13185, दिनांक– 03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक– 16144, दिनांक– 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(ix) आवेदन प्रपत्र में आरक्षण के इंगित कॉलम में निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी/बिहार राज्य के सरकारी सेवक/भूतपूर्व सैनिक का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।

7. शुल्क :–

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं 40% या उससे अधिक निःशक्त (विकलांग) अभ्यर्थियों के लिए 25/– (पचीस) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 75/– (पचहत्तर) रूपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 100/– (एक सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 150/– (एक सौ पचास) रूपये चालान के माध्यम से आयोग के **खाता संख्या 31650243410** में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। इस विज्ञापन के चालान का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in से आवेदन प्रपत्र के साथ डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। **उम्मीदवार चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे, दूसरी प्रति बैंक में जमा करेंगे तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखेंगे।**

वैसे सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो निःशक्तता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा निःशक्तता से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। निःशक्त अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

8. अन्यः

अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। अलग–अलग विज्ञापन संख्या के लिए अलग–अलग आवेदन किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार ही शुल्क जमा करना होगा।

9. अंतिम तिथिः

(i) **पूर्णरूपेण भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह बुधवार, दिनांक– 31 मई, 2017 के अपराह्न 5.00 बजे तक विशेष सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना– 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।**

(ii) **यदि डाक सेवा में विलम्ब या किसी अन्य कारण से किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।**

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

10. प्रविष्टिः

(i) आवेदन प्रत्येक विज्ञापन के लिए निर्धारित अलग प्रपत्र में ए–4 आकार (210×297 मिमी॰) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। **आवेदन प्रपत्र चार पृष्ठों में ही होना चाहिए। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

(ii) **आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले इंक के बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन उक्त विज्ञापन विशेष के लिए निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।**

(iii) आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसेः–

1. **आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्निग्धा, इस प्रकार भरा जाय –**

स्नि	न	ग	धा

2. **हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें, यथा– ANIL KUMAR RAM को बाक्स में इस तरह लिखेंगें एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगे :–**

A	N	I	L		K	U	M	A	R		R	A	M

3. आवेदन की कंडिका 2(iii) में यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं आरक्षित वर्ग से नहीं हैं तो 2 भरें।

4. आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, एवं पिछड़ा वर्ग के लिये 05 भरें।

उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। **अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।**

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (×) कर दें।

(v) स्तम्भ (कॉलम) 14 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

(vi) स्तम्भ (कॉलम) 15 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (×) कर दें।

11. फोटोग्राफ:

आवेदन–पत्र के पृ०–1 एवं 4 पर फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। **फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ।** दोनों फोटो एक ही तरह का हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो/आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है। **फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।**

उम्मीदवारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर चिपकाया गया है, उसकी कम–से–कम तीन अतिरिक्त प्रतियाँ अपने पास सुरक्षित रखेंगे, जिसे आयोग द्वारा माँगें जाने पर प्रस्तुत किया जा सके।

12. **योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है।**

13. **आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।**

14. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।

15. लिफाफा एवं प्रमाण पत्र :–

(i) **विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें।**

- (i) मैट्रिक का प्रमाण–पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के लिए);
- (ii) एम०बी०बी०एस० की सभी परीक्षाओं के अंक पत्र;
- (iii) एम०बी०बी०एस० प्रमाण पत्र;
- (iv) भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा के अनुसार, आवेदित स्पेशलिटी विषय या विषय समूह में प्राप्तांक से संबंधित प्रमाण–पत्र;
- (v) एम०डी०/एम०एस०/डी०एन०बी० प्रमाण–पत्र;
- (vi) डी०एम०/एम०सी०–एच०/डी०एन०बी० (सुपर– स्पेशलिटी)/पी–एच०डी० प्रमाण पत्र;
- (vii) संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र, जिसमें कार्य करने की अवधि तथा उक्त संस्थान के भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम०सी०आई०) से मान्यता प्राप्त होने का स्पष्ट उल्लेख हो;
- (viii) M.C.I. अथवा राज्य के मेडिकल रजिस्ट्रेशन कॉउन्सिल से निबंधन से संबंधित प्रमाण–पत्र ;
- (ix) प्रकाशित जर्नल की प्रति;
- (x) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित जाति प्रमाण–पत्र, स्थायी निवास प्रमाण–पत्र एवं निःशक्तता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति; भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र;
- (xi) बैंक में जमा चालान की मूल BPSC प्रति भी आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करेंगे;
- (xii) आवेदक उपर्युक्त सभी प्रमाण–पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। जो प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

(ii) **16 × 10 से०मी० का स्वपता लिखित एक लिफाफा (अनुक्रमांक निर्गत करने हेतु), जिसपर 40 रूपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।**

(iii) **इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, आवेदन पत्र के साथ संलग्न पता पर्ची (Address Slip) जिसपर विज्ञापन सं० एवं पद का नाम अंकित है, को लिफाफे पर चिपकाते हुए प्रेषक पर्ची (Sender's Slip) पर अपना पूरा पता अंकित करें।**

16. **इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से विस्तृत सूचनाओं का प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।**

17. **उपर्युक्त विज्ञापनों के संबंध में विस्तृत निदेश आवेदन पत्र का प्रपत्र एवं बैंक चालान आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। विज्ञापन विशेष के लिए निर्धारित प्रत्येक विज्ञापन के लिए अलग–अलग प्रपत्र से भिन्न, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

24/4/17

विशेष सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।